

**कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम**

क्रमांक : स्था / 09 / 2026 / 152

दिनांक:- 08 जनवरी, 2026

- : आ दे श : -

- 01 निम्नांकित सारणी में अंकित कर्मचारी का पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्य-निष्पादन बाबत आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है:-

| क्र० सं० | नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री | नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है | नाम न्यायालय जिसमें कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु लगाया गया था |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 01       | 02                                          | 03                                      | 04                                                               |
| 01       | सीताराम शर्मा<br>वाहन चालक                  | DJ Court                                | Family Court No. 3                                               |

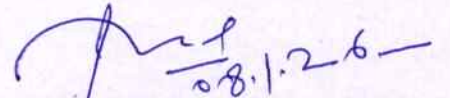
- 02 जयपुर महानगर-1 में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारी को आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख अंकित न्यायालय में कार्य-निष्पादन हेतु तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है:-

| क्र० सं० | नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री | नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है | नाम न्यायालय जिसमें कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु लगाया जाता है |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 01       | 02                                          | 03                                      | 04                                                                |
| 01       | राजपाल सिंह तंवर<br>वाहन चालक               | DJ Court                                | Family Court No. 3                                                |

**नोट:-**

- उक्त कर्मचारी का वेतन उनके पदस्थापन न्यायालय द्वारा आहरित किया जावेगा। उक्त कर्मचारी अपनी उपस्थिति कार्य-निष्पादन वाले न्यायालय में अंकित करेंगे तथा इनका आकस्मिक अवकाश भी कार्य-निष्पादन वाले न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जावेगा। इनकी उपस्थिति बाबत सूचना नियमानुसार पदस्थापन न्यायालय को भिजवाई जावे।
- उक्त कर्मचारीगण को अपना समस्त चार्ज आदि का लेन-देन करा कर (यदि कोई हो) संबंधित कर्मचारी को नवीन पदस्थापन/कार्य-निष्पादन वाले न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अविलम्ब आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जावे।

संबंधित कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यमुक्ति से पूर्व संबंधित वर्ष अवधि के लिये वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के भाग-1 की पूर्ति कर पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। संबंधित पीठासीन अधिकारी 7 दिवस के भीतर वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के भाग-11 की पूर्ति कर इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

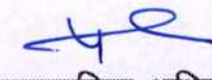
  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था / 09 / 2026 / 152

दिनांक:- 08 जनवरी, 2026

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

- प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम
- संबंधित न्यायालय/कर्मचारी ..... जयपुर महानगर-प्रथम
- सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- निजी पत्रावली संबंधित कर्मचारी .....
- आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली /रक्षित पत्रावली

  
प्रशासनिक अधिकारी  
जिला एवं सेशन न्यायालय  
जयपुर महानगर-प्रथम